

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नम्बर 2025 / 353..

मुकदमा नम्बर 104 / 2025

दर्ज दिनांक-27.06.2025

लालसिंह गढवाल पुत्र इन्द्रा सिंह वगैरह जाति जाट निवासी गढवालो की ढाणी तन खिरोड़  
तहसील नवलगढ़, जिला-झुझुनू

- आवेदक

बनाम

राजस्थान-सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

वकील वादी : - प्रार्थी स्वयं

वकील प्रति. :- राज. पैरोकार

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: निर्णय..::

निर्णय दिनांक 27.06.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गढवालो की ढाणी तन खिरोड़ की सरहद में नई खाता संख्या 18 भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 0.1000 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुआ के राजस्व रिकॉर्ड काशतकार संख्या 4 पर दर्ज गोमती पुत्री इन्द्राज के स्थान पर संजू पुत्री इन्द्राज सिंह एवं काशतकार संख्या 41 पर दर्ज लालचन्द पुत्र इन्द्राज के स्थान पर लाल सिंह गढवाल पुत्र इन्द्राज सिंह दुरुस्त करने बाबत, एवं नई खाता संख्या 19 भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 3.7700 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 74 रकबा 0.9900 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड काशतकार संख्या 1 पर दर्ज गोमती पुत्री इन्द्राज के स्थान पर संजू पुत्री इन्द्राज सिंह दुरुस्त करने बाबत, नई खाता संख्या 91 भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 1.7200 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड काशतकार संख्या 1 पर दर्ज गोमती पुत्री इन्द्राज के स्थान पर संजू पुत्री इन्द्राज सिंह दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक कि और से पैरोकार राज उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/8204 दिनांक 09.06.2025 पेश की गई। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।


प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के मुतागिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। प्रार्थना पत्र वादीगण का प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/8204 दिनांक 09.06.2025 के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक को प्रार्थना पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गढवालो की ढाणी तन खिरोड की सरहद में नई खाता संख्या 18 भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 0.1000 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुआ के राजस्व रिकॉर्ड काश्तकार संख्या 4 पर दर्ज गोमती पुत्री इन्द्राज के स्थान पर संजू पुत्री इन्द्राज सिंह एवं काश्तकार संख्या 41 पर दर्ज लालचन्द पुत्र इन्द्राज के स्थान पर लाल सिंह गढवाल पुत्र इन्द्राज सिंह दुरुस्त करने बाबत, एवं नई खाता संख्या 19 भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 3.7700 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 74 रकबा 0.9900 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड काश्तकार संख्या 1 पर दर्ज गोमती पुत्री इन्द्राज के स्थान पर संजू पुत्री इन्द्राज सिंह दुरुस्त करने बाबत, नई खाता संख्या 91 भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 1.7200 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड काश्तकार संख्या 1 पर दर्ज गोमती पुत्री इन्द्राज के स्थान पर संजू पुत्री इन्द्राज सिंह दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(ज्योति सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ